

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/21/19

पं. सं. 561-ई/6 सी. पी. सी./08

दिनांक 19/11/2008

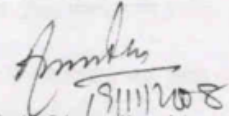
सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: - Railway Services (Revised Pay) First Amendment
Rules- 2008.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. पी.सी.-VI/2008/1/आर.एस.आर.पी./1 दिनांक
24/9/2008 (आर.वी.ई.सं. 30/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI/21 की प्रतिलिपि सूचना एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र पी.सी.-VI/2008/1/आर.एस.आर.पी./1
दिनांक 23/09/08 G.S.R. 674(E) (आर.वी.ई.सं.128/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI/19 की
प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/19 के अन्तर्गत भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यद्योक्त


(Trilok Choudhary)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, आ0भा0आ0जा0/आ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, आ0भा0आ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

HA/1 S. No. 12500/21

क्रम सं. पी सी-6/21

आर बी ई सं. 130/2008

सं. पी सी-6/2008/आई/आरएसआरपी/1

नई दिल्ली, दिनांक : 24.09.2008

महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधि.(आर)/वि.का.अधि.
सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार) *

विषय : रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) प्रथम संशोधन नियम, 2008

रेल सेवा (संशोधित वेतन) प्रथम संशोधन नियम, 2008 को अधिसूचित करने के लिए
जारी राजपत्र अधिसूचना जी एस आर 674(ई) दिनांक 23.09.2008 सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त

(वेद प्रकाश) 24/9/2008
निदेशक/वे.आ.-2

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VI/21

RBE No. 134/2008

No:PC-VI/2008/I/RSRP/1

New Delhi,

dated 24-09-2008.

The General Manager, CAO(R), OSD,
All Indian Railways & Production Units.
(As per mailing list).

Sub:- Railway Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2008.

The Gazette Notification No. G.S.R. 674(E), RBE No.. 128/2008 dated 23-09-2008
notifying Railway Services (Revised Pay) First Amendment Rules-2008 is enclosed herewith for
information and necessary action.

Encl: As above

(Ved Prakash) 24/9/2008
Director, Pay Commission-II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2008/आश्विन 1, 1930

No. 515]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2008/ASVINA 1, 1930

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

क्र.सं. पीसी VI/19

आरबी ई सं. 128/2008

सा.का.नि. 674(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) प्रथम संशोधन नियम, 2008 कहा जाएगा।
(2) इन्हें 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त माना जाएगा।

- रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची के 'भाग-ख' के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाए, अर्थात् :—

भाग-ग

क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों और अन्य रेल कार्यालयों में कतिपय विनिर्दिष्ट पदों के लिए संशोधित वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन

क्र.सं.	पद	वर्तमान वेतनमान		संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	
		(रुपए)	वेतन बैंड का नाम	तदनुसूची वेतन बैंड (रुपए)	ग्रेड वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक लेखाधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित)	7500-12000	पी.बी.-2	9300-34800	5400 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए)
2.	सहायक नसिंग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित)	7500-12000	पी.बी.-3	15600-39100	5400 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए)
3.	प्रधानाचार्य/हैडमास्टर (माध्यमिक/हाई स्कूल और समतुल्य) (समूह 'ख' राजपत्रित)	7500-12000 (मूल ग्रेड)	पी.बी.-3	15600-39100	5400 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए)
		8000-13500 (वरिष्ठ ग्रेड)	पी.बी.-3	15600-39100	6600 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए)

3692 9208-

5

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	प्रधानाचार्य/हैडमास्टर/मुख्याध्यापिका इंटरमीडिएट कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक बहुदेशीय विद्यालय (समूह 'क' राजपत्रित)	10000-15200	पी.बी.-3	15600-39100	7600 (समूह 'क' राजपत्रित)
5.	केवल विभागीय पुस्तकालयों के सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (रेलवे बोर्ड/राष्ट्रीय रेल संग्रहालय सहित) (समूह 'ख' राजपत्रित)	6500-10500	पी.बी.-2	9300-34800	4600 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए)

* [फा. सं. पी सी-VI/2008/आई/आर एन आर पी/1]

मैथ्यू जॉन, सचिव

नोट :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. संकान्ति 643(अ), दिनांक 4-9-2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2008

S. No. PC VI/19

RBE No. 128/2008

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railway Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. Below PART-B of the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, the following entry shall be inserted, namely :—

PART-C

Revised Pay Band and Grade Pay for certain specified posts in Zonal Railways/Production Units and other Railway offices

S.No.	Post	Present Scale (Rs.)	Revised Pay Band & Grade Pay		
			Name of Pay Band	Corresponding Pay Bands (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted)	7500-12000	PB-2	9300-34800	5400 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained)
2.	Assistant Nursing Officer (Group 'B' Gazetted)	7500-12000	PB-3	15600-39100	5400 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained)
3.	Principal/Head Master (Secondary/High School & equivalent) Group 'B' Gazetted	7500-12000 (Basic Grade)	PB-3	15600-39100	5400 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained)
		8000-13500 (Senior Grade)	PB-3	15600-39100	6600 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained)
4.	Principals/Head Master/Head Mistress, Intermediate College/ Higher Secondary Schools/Higher Secondary Multi-purpose Schools (Group 'A' Gazetted)	10000-15200	PB-3	15600-39100	7600 (Group 'A')
5.	Assistant Library & Information Officers of departmental libraries only (including Railway Board/ NRM) (Group 'B' Gazetted)	6500-10500	PB-2	9300-34800	4600 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained)

[F. No. PC-VI/2008/RSRP/1]

MATHEW JOHN, Secy.

Note : The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide No. GSR 643 (E), dated 4-9-2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054